मूल हिंदी

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4754
21 **अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए**

भिवंडी में पीएमएवाई-यू की स्थिति

4754. **श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रेः**

क्या **आबासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत स्वीकृत अधिकांश घर अभी तक पूरे नहीं हुए हैं और यदि हों**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**,**

(ख) महाराष्ट्र में स्वीकृत**,** निर्माणाधीन और निर्माण कार्य पूरा हो चुके घरों की संख्या का विशेषकर भिवंडी सहित जिला-बार ब्यौरा क्या है**;**

(ग) क्या सरकार भिवंडी जैसे अर्ध-शहरी औद्योगिक क्षेत्रों में किफायती किराये के आवास परिसरों (एआरएचसी) को लागू करने का विचार रखती है और यदि हाँ**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(घ) क्या सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को समय पर अनुमोदित किया है और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की है**;** और

(ङ) यदि हों**,** तो विशेषकर महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी व्यौरा क्या है**?**

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा अपने नागरिकों के लिए आवास संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। हालाँकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) देश भर के पात्र शहरी लाभार्थियों को पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के प्रयासों में सहायता प्रदान कर रहा है। महाराष्ट्र में, विशेष रूप से भिवंडी में, स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण हो चुके आवासों की संख्या का जिला-वार विवरण अनुलग्नक-। में दिया गया है।

आवासों/परियोजनाओं के पूरा होने की समय-सीमा राज्य-दर-राज्य अलग-अलग होती है और इस योजना के विभिन्न घटकों में और संबंधित परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) के अनुसार, इसमें आमतौर पर 12-36 महीने लगते हैं। आवासों के पूरा होने की समय-सीमा विभिन्न घटकों पर निर्भर करती है जैसे कि बाधा-मुक्त भूमि की उपलब्धता, निर्माण शुरू करने के लिए सांविधिक अनुपालन, लाभार्थियों द्वारा निधियों की व्यवस्था आदि।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने पीएमएवाई-यू की एक उप-योजना के रूप में किफायती किराये के आवास परिसरों (एआरएचसी) की शुरुआत की है ताकि महाराष्ट्र सहित देश भर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के शहरी प्रवासियों/औद्योगिक श्रमिकों सहित गरीबों को उनके कार्यस्थल के पास सिंगल/डबल बेडरूम इकाइयों या डॉरमेट्री बेड के माध्यम से सम्मानजनक ढंग से रहने की सुविधा दी जा सके। एआरएचसी के अंतर्गत कोई प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

इसके अलावा, पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के 9 वर्षों के अनुभव और सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और दिनांक 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है, ताकि पीएमएवाई-यू के चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र शहरी लाभार्थियों की सहायता की जा सके। पीएमएवाई-यू 2.0 योजना के दिशानिर्देश https://pmay-urban.gov.in पर देखे जा सकते हैं। पीएमएवाई-यू 2.0 का एआरएच घटक एआरएचसी के अनुभवों पर आधारित है और इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के लाभार्थियों के लिए किराये के आवास परियोजनाओं का निर्माण करना है, जिनमें प्रवासी श्रमिक और अन्य गरीब लोग शामिल हैं, जो अपना आवास नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्हें अल्पावधि के लिए आवास की आवश्यकता है।

जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार सभी सांविधिक कस्बों और बाद में अधिसूचित कस्बों और अधिसूचित योजना क्षेत्रों की सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्रों, औद्योगिक विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/शहरी विकास प्राधिकरण अथवा राज्य विधान के अंतर्गत किसी ऐसे प्राधिकरण, जिन्हें शहरी नियोजन और विनियमों के कार्य सौंपे गए हैं, के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अधिसूचित आयोजना/विकास क्षेत्र को सभी घटकों के लिए इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत केंद्रीय सहायता राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को क्रमशः 40%, 40% और 20% की तीन किस्तों में जारी की जाती है। केंद्रीय सहायता का जारी होना वित्त मंत्रालय द्वारा जारी परिचालन दिशानिर्देशों और अन्य अनुदेशों के अनुसार, संबंधित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनिवार्य अनुपालन पूरा किए जाने पर निर्भर करता है। स्वीकृत परियोजनाओं में अपेक्षित अनुपालन पूरा होते ही, केंद्रीय सहायता की देय किस्त संबंधित राज्य सरकार को जारी कर दी जाती है ताकि योजना के अंतर्गत आवास निर्माण हेतु चिन्हित लाभार्थियों को राज्य के बराबर हिस्से के साथ ही वह राशि हस्तांतरित की जा सके।

*****

दिनांक 21-08-2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4754 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-I

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई 2.0 के अंतर्गत महाराष्ट्र में विशेष रूप से भिवंडी में स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण हो चुके आवासों की जिला-वार संख्या

क्र. सं.	ज़िला	स्वीकृत आवासों की संख्या	निर्माणाधीन आवासों की संख्या	पूर्ण आवासों संख्या
1	अहिल्यानगर	21,560	21,087	19,728
2	अकोला	14,082	12,294	9,786
3	अमरावती	25,608	22,137	17,496
4	बीड	17,856	14,329	9,105
5	भंडारा	5,847	5,245	4,295
6	बुलढाणा	8,540	6,971	6,001
7	चंद्रपुर	10,084	8,477	6,525
8	छत्रपति संभाजीनगर	43,156	30,604	26,269
9	धाराशिव	8,916	7,084	4,964
10	धुले	6,092	5,815	5,470
11	गढ़चिरौली	4,426	3,802	3,058
12	गोंदिया	7,434	6,012	2,855
13	हिंगोली	12,038	9,648	6,062
14	जलगांव	28,598	27,246	25,073
15	जालना	13,730	11,434	7,826
16	कोल्हापुर	13,618	13,045	12,762
17	लातूर	16,265	14,454	10,957
18	मुंबई उपनगरीय	1,41,518	1,41,518	1,37,796
19	नागपुर	66,518	62,669	42,353
20	नांदेड़	26,668	23,282	17,609
21	नंदुरबार	3,632	3,466	2,743

क्र. सं.	ज़िला	स्वीकृत आवासों की संख्या	निर्माणाधीन आवासों की संख्या	पूर्ण आवासों संख्या
22	नासिक	64,811	64,353	63,190
23	पालघर	49,113	48,922	42,416
24	परभनी	22,385	19,059	10,427
25	पुणे	2,23,478	2,08,884	2,01,640
26	रायगढ़	63,844	61,604	49,963
27	रत्नागिरी	3,871	3,869	3,792
28	सांगली	11,163	10,368	9,270
29	सतारा	24,183	13,630	11,537
30	सिंधुदुर्ग	1,757	1,665	1,277
31	सोलापुर	61,651	54,413	32,218
32	ठाणे* (भिवंडी सहित)	1,95,844	1,88,779	1,71,805
33	वर्धा	8,962	8,030	6,767
34	वाशिम	4,674	3,682	3,014
35	यवतमाल	18,516	14,091	9,499
कुल		**12,50,438**	**11,51,968**	**9,95,548**

* भिवंडी में सभी 10,656 स्वीकृत आवास निर्माणाधीन हैं और इनमें से 8,383 आवास पूरे हो चुके हैं

*****